18/07/22 पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। पत्रावली आज बोले आदेश पेश हुई। इनके पत्रावली का गहराई से अवलोकन अध्ययन किया गया / वकील प्रार्थिनी (वादिनी) की बहस है कि दिनांक 07.09.2015 को वादिनी के घर पर अति आवश्यक कार्य होने के व न्यायालय का मुख्यालय जिला मुख्यालय बाड़मेर से उपखण्ड स्तर पर गुड़ामालानी में स्थानान्तरण होने की सूचना अपने वकील द्वारा नहीं देने पर प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका तथा उनके अधिवक्ता भी जिला मुख्यालय के अन्य न्यायालयों में व्यस्त होने से न्यायालय गुड़ामालानी में उपस्थित नहीं हो सके जिस पर वादी का वाद वादी की अदम हाजरी व अदम पैरवी में ~~खारिज~~ दिनांक 07/09/2015 को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार उक्त प्रकरण खारिज होने की जानकारी वादिनी अनपढ़ व ग्रामीण व वृद्ध महिला होने से अपने वकील से सम्पर्क नहीं कर पाई तथा न ही [illegible] वादिनी को सूचना दी। [illegible] प्रार्थी को [illegible] प्रतिवादीगण [illegible] खसरे [illegible] बेदखल करने की कोशिश करने लगा तब प्रार्थी को सन्देह होने पर गुड़ामालानी न्यायालय से दूसरा वकील नियुक्त कर उक्त प्रकरण की जानकारी हासिल की तब

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:19 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ज्ञात हुआ कि उक्त वाद दिनांक 7/9/15 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो गया है। जानकारी होते ही नकल दिनांक 19/8/21 को प्राप्त कर श्रीमान के न्यायालय में उक्त वाद को पुनः सुनवाई में लेने का यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई में लिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जावे। वकील प्रार्थी/वादी ने अपनी बहस व प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2011(1) RRT पेज 446 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर बहादुरसिंह बनाम तोलाराम व अन्य, 2012(1) RRT पेज 668 राजस्व मण्डल अजमेर प्रेमलता बनाम महावीर व अन्य, 2011(1) RRT पेज 338 सुप्रीम कोर्ट स्टेट ऑफ केरला व अन्य बनाम एम.जी. प्रसन्ना, 2011(2) RJT पेज 803 सुप्रीम कोर्ट गंगाधर पोलो बनाम दा रेवेन्यू कमीश्नर कॉम्पीकर प्रार्थना पत्र पेश करने हुई देरी को क्षमा करने हेतु पेश किये गये। वकील प्रतिवादीगण की बहस है कि वादी ने परिसीमा अधिनियम धारा-5 के अधीन पत्र में यह स्वीकार किया है कि वादी ने वादपत्र 2007 में दायर किया था जो कि दिनांक 9/7/20[illegible] को [illegible] व अदम पैरवी में [illegible] है कि वादी [illegible] वर्षों की लम्बी अवधि तक विचाराधीन रहा इससे इस बात की पुष्टि होती है कि पक्षकार जागरूक था तो करीब आठ वर्ष का सहायक कलक्टर गुड़ामालानी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:19 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म के जारी
	के समर्थन में रहा। प्रार्थी अपने वकील का यह कथन कि दिनांक 19/8/2021 को वास्तविक जानकारी होने पर वकील नियुक्त किया तथा नकलें प्राप्त और उसी दिन पर प्रार्थना पत्र वाद को मुकदमा पुनः कायम लेने हेतु पेश कर दिया। प्रार्थी ने 6 वर्ष तक जानकारी नहीं होने के ठोस कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये है। 2012 से निरन्तर रूप से कोर्ट गुडामालानी में वादी के वाद पत्र की सुनवाई हुई है जिसमें वादी के अधिवक्ता उप० रहे है यह तथ्य जानकारी वादी से छिपी हुई नहीं है। न्याय का यह अपेक्षा है कि मुवक्किल को पर्याप्त जागरूक होना चाहिए और स्वयं लम्बित कार्यवाही की जानकारी रखनी चाहिए प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जानबूझकर विपक्षीगण को परेशान करने के लिए 2200 दिनों के पश्चात पेश किया है देरी का कोई ठोस कारण अंकित नहीं करने से धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत कोई फायदा नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र म्याद बाहर होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश: [illegible] अधिवक्तागणों के तर्क सुने किये एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन व अध्ययन (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर, गुडामालानी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:19 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

किया जाना। प्रार्थी/वादी के प्रार्थना पत्र की परिवेदना के प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रयोज्य/चस्पा नहीं होते हैं क्योंकि न्यायिक दृष्टान्त RRT 2012(1) पेज 668 राजस्व फ़ाइल राजस्थान बनाम कमला बनाम महावीर सिंह व अन्य में 35 वर्षों की देरी का मामला है, इस प्रकरण व वादी द्वारा प्रस्तुत देरी के प्रार्थना पत्र के मिलान हो वादी के प्रार्थना पत्र में देरी का कोई ठोस कारण नहीं बताया है यह तर्क माना जाना कतई विश्वसनीय नहीं है कि वादी को काश्तकार मुकदमा के अपराध मुकदमा पर कोई कार्यवाही ... की जानकारी ना हो। उपरोक्त मुकदमा सुनवाई पर यह न्यायालय दिनांक 10/11/2012 को खारिज हुआ। इसलिए प्रकरण की सुनवाई दिनांक 07-09-2015 तक विलम्बित रहने के हुई किये हर पेशी तारीख पर वादी के [illegible] हुए, इन 6 वर्षों [illegible] भी बार [illegible] के वादी के सामने नहीं किया है और इस बात का जिक्र नहीं किया है कि उक्त काश्तकार की जगह

प्रमो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:19 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	उपखण्ड न्यायालय गुड़ामालानी के ही कोर्ट की हुक्म के ये ही है यह तक किसी भी हालत में मानने योग्य नहीं है क्योंकि इसके पर प्रकरण वादीनी के मूल पैतृक पर भी लोक अदालत व प्रशासन गांव के शिविर अभियान में लगाया गया था जिसके समय उपखण्ड न्यायालय गुड़ामालानी द्वारा जारी किये गये तथा प्रार्थी के साथ-साथ प्रतिवादीगण को भी इन शिविरों की जानकारी के जरिये नोटिस प्रेषित किया गया। वर्ष 2015 तक वादपत्र के चलने की जानकारी वादीनी को होना बताई जाकर है वादीनी का यह कथन मिथ्यापूर्ण है कि इन्हें 6 वर्ष तक उक्त वाद पत्र की दिनांक 07/9/15 को [illegible] चौरवी में खारिज कर दिया गया है तथा वर्ष 2012 के निर्णीत केस के आदेश की जगह गुड़ामालानी न्यायालय पर उपखण्ड [illegible] वादीनी/प्रार्थी [illegible] देरी फ. [illegible] वर्ष की लम्बी [illegible] को माफ किये जाने हेतु पर्याप्त नहीं है अत: (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:19 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

ऐसी स्थिति में वादिनी/प्रवादिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। मुवक्किल की निष्क्रियता और उसकी उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है और न्याय कानून को निरर्थक और फालतू बना देना विलम्ब स्पष्ट हेतु पर्याप्त कारण नहीं। RRT 2017(1) पेज 11 जीतेन्द्र सिंह बनाम नीलम चौधरी। [illegible] टेक बी.एस. मेहरिया बनाम जोधपुर [illegible] डेवलपमेंट अ. में प्रतिपादित है। अतः प्रवादिनी/वादिनी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 व्य. प्र. धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

[illegible] सिविल [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:19 IST
Reason: SelfAttested

Pre. by Adv. Babulal Bishnoi
Reader check & report. 13/9/14

श्रीमान सहायक कलेक्टर (S.D.O.) महोदयजी,

गुडामालानी

प्रार्थी / वादी– सुवटी पुत्री स्वः रामचन्द पत्नि धर्माराम उम्र 70 वर्ष

जाति विश्नोई निवासी धोलीनाडी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण–

1. जालाराम पुत्र स्वः रामचन्द के कायम मुकाम
   1/1 जयश्री पुत्री जालाराम
   1/2 इन्दिरा पुत्री जालाराम

RJ ✓ 2. जीयाराम पुत्र रामचन्द

RJ ✓ 3. राजुराम पुत्र कोजाराम

जातियान विश्नोई निवासी गांधव कला तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

4. श्रीमान मैनेजर T.A.G.B. धोरीमना

5. श्रीमान तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व वाद संख्या 111/2007

अदम पैरवी खारिज दिनांक 07/09/2015

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 53, 188 आर टी एक्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सहपठित धारा 151 सी पी सी

वास्ते पुनः बहाल करने बाबत

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:19 IST
Reason: SelfAttested

महोदय,

निवेदन प्रार्थी / वादी की और से निम्न प्रकार से है कि–

1. कि उपरोक्त अनवान प्रकरण में दिनांक 07/09 /2015 को प्रार्थी (वादी) व उनके वकील के उपस्थित नही होने पर उक्त प्रकरण को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया।

सुवटी

Adv.

2. कि दिनांक 07/09/2015 को प्रार्थी/वादी के घर पर अति आवश्यक कार्य होने के व न्यायालय का मुख्यालयजिला मुख्यालय बाडमेर से उपखण्ड स्तर गुडामालानी में स्थानान्तरण होने की सुचना अपने वकील द्वारा नही देने पर प्रार्थी नयायालय में उपस्थित नही हो सका तथा उनके अधिवक्ता भी जिला मुख्यालय के अन्य न्यायालयो में व्यस्थ होने से न्यायालय गुडामालानी में नही उपस्थित हो सके जिस पर न्यायालय में प्रार्थी की और से उपस्थित होकर पैरवी नही कर पाया तब न्यायालय द्वारा प्रार्थी /वादी का वाद दिनांक 07/09/2015 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया।

3. कि उक्त प्रकरण खारिज करने की जानकारी वादी अनपढ व ग्रामीण व वृद्ध महिला होने से अपने वकील से सम्पर्क नही कर पाई तथा न ही वकील के द्वारा वादीगण को सूचना दी । कि वर्तमान में 10–20 दिन पूर्व प्रतिवादीगण प्रार्थी को अपने वादग्रस्त खसरो से बेदखल करने की कोशिश करने लगे जिस प्रार्थी को सन्देह हुआ तब गुडामालानी न्यायालय में दुसरा वकील नियुक्त कर उक्त प्रकरण की जानकारी हासील कर तब ज्ञात कि उक्त वाद दिनांक 07/09/2015 को अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज हो गया तब उक्त खारिज वाद की नकल लेने का आवेदन दिनाक 19 /08/2021 को न्यायालय गुडामालानी में आवेंदन किया जिसे उसी दिन दिनांक 19 /08/2021 को सभी नकल प्राप्त हुई व नकल मिलने से ज्ञात हुआ कि उक्त वाद अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज हो गया तब प्रकरण पुनः बरामद करने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद पेश है तथा म्याद अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

4. कि प्रार्थी /वादी ने जानबुझकर कोई लापरवाही नही की है प्रार्थी /वादी उक्त वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहता है, कि उक्त वाद वादी ने साक्ष्य पेश करने हेतु नियत था इस स्थिति में न्यायहित में उक्त प्रकरण को पुनः बरामद किया जाना न्यायोचित है।

5. कि वाद मं प्रार्थी /वादी के हक हकुक सीधे तौर प्रमाणित होते है उक्त वाद के अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने से अपूर्णिय क्षति वादी को हो रही है जो भविष्य में भरपाई सम्भव नही है।

6. कि शेष वजूहात वक्त बहस निवेदन किये जावेगे।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी /वादी का प्रार्थना पत्र 09 नियम 4 सहपठित धरा 151 सी पी सी का स्वीकार कर वाद संख्या 11/2007 को पुनः बरामद करने का आदेश प्रदान करावे तथा स्वय प्रार्थी / वादी को सूनवाई का समूचित अवसर प्रदान कर न्याय दिलवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:19 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक
.../.../2021

Adv.